"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 133] रायपुर, बुधवार दिनांक 3 अप्रैल 2013—चैत्र 13, शक 1935

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2013

क्रमांक एफ-20/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/2010/331.—दिनांक 25 मार्च 2013 को नगरपालिका परिषद् सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग. के 2 अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. आर. बांधे,
उप-सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-20/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

1. गेवेन्द्र कुमार देवांगन (धरम), अभ्यर्थी अध्यक्ष पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2009, नगरपालिका परिषद्, सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग.

2. संतोष सोनी (सरदार), अभ्यर्थी अध्यक्ष पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2009, नगरपालिका परिषद्, सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग.

आदेश

(छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 25 मार्च 2013

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जांजगीर-चांपा (एतत्पश्चात् संक्षेप में निर्वाचन अधिकारी) के प्रतिवेदन दिनांक 2 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगरपालिका परिषद् सक्ती के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 7 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसम्बर 2009 को घोषित किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग (एतत्पश्चात् संक्षेप में आयोग) को अपने ज्ञापन दिनांक 3 फरवरी 2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगरपालिका परिषद् सक्ती के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी गेवेन्द्र कुमार देवांगन (धरम) एवं संतोष सोनी (सरदार) द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 26 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों गेवेन्द्र कुमार देवांगन (धरम) एवं संतोष सोनी (सरदार) को दिनांक 25 फरवरी 2010 को कारण बताओ सूचना जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई. उक्त कारण बताओ सूचना अभ्यर्थियों गेवेन्द्र कुमार देवांगन (धरम) एवं संतोष सोनी (सरदार) को क्रमश: दिनांक 21 अप्रैल 2010 एवं दिनांक 20 अप्रैल 2010 को तामील की गई. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी संतोष सोनी (सरदार) को तामील होने के पश्चात् भी निर्धारित समयावधि में अथवा तत्पश्चात् भी उनके द्वारा अपना जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. ऐसी स्थिति में यह माना जाकर कि उक्त अभ्यर्थी को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है, उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई. अन्य अभ्यर्थी देवेन्द्र कुमार देवांगन (धरम) ने कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना जवाब दिनांक 28 अप्रैल 2010 को आयोग में प्रस्तुत किया. अपने जवाब में अभ्यर्थी ने उल्लेख किया कि चुनाव के बाद उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई जिसके कारण वे निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं कर पाये. जवाब के साथ अभ्यर्थी द्वारा चिकित्सक डॉ. टी. के. गबेल द्वारा दिनांक 26 अप्रैल 2010 को जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र की प्रति संलग्न प्रस्तुत की गई. चिकित्सा प्रमाण पत्र में डॉ. गबेल द्वारा दिनांक 15 जनवरी 2010 से 8 मार्च 2010 तक इलाज करने का उल्लेख किया गया है. अभ्यर्थी द्वारा विलंब के लिए क्षमा याचना करते हुए व्यय लेखा स्वीकार करने का निवेदन किया गया. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के सन्दर्भ में निर्वाचन अधिकारी का अभिमत प्राप्त किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने अपने ज्ञापन दिनांक 24 अगस्त 2012 के द्वारा अभिमत दिया कि नाम निर्देशन प्रस्तुत करते समय सभी अभ्यर्थियों को रिटर्निंग आफिसर द्वारा व्यय लेखा संधारण पुस्तिका एवं निर्देश पुस्तिका देते हुए समझाया गया था कि निर्धारित समय पर व्यय-लेखा जमा करना है. इसके पश्चात् भी समय पर व्यय लेखा प्रस्तुत न करने के लिए अभ्यर्थी उत्तरदायी है. इस पर अभ्यर्थी को प्रत्यक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उन्हें दिनांक 13 फरवरी 2013 को आयोग में आहूत किया गया. अभ्यर्थी का शपथपूर्वक बयान लिपिबद्ध किया गया. शपथपूर्वक बयान में अभ्यर्थी ने स्वीकार किया कि वे स्वास्थ्य खराब होने के कारण निर्वाचन व्यय लेखा समयावधि में जमा नहीं कर पाये तथा दिनांक 26 अप्रैल 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा जमा किये थे. उनके द्वारा पूर्व में आयोग में प्रस्तुत किये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र की मूल प्रति गुम हो जाना दर्शाते हुए चिकित्सा प्रमाण पत्र की डुप्लीकेट प्रति प्रस्तुत की गई.

4. प्रकरण से संबंधित अभिलेखों का परिशीलन किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी श्री गेवेन्द्र कुमार देवांगन (धरम) एवं श्री संतोष सोनी (सरदार) ने निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है. यह अधिनियम की धारा 32-क (1)

एवं 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :—

"**धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा**—प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना**—अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. चूंकि 26 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश का दिन था, अत: उक्त व्यय लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था यद्यपि निर्वाचन अधिकारी ने इसे अपने प्रतिवेदन में दिनांक 26 जनवरी 2012 उल्लेखित किया है.

5. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन, अभ्यर्थी गेवेन्द्र कुमार देवांगन द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं उनका शपथपूर्वक बयान तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगरपालिका परिषद्, सक्ती के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी संतोष सोनी (सरदार) ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में आयोग को अपना कोई जवाब प्रस्तुत किया. अभ्यर्थी गेवेन्द्र कुमार देवांगन (धरम) ने कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना जवाब मय चिकित्सा प्रमाण पत्र के प्रस्तुत किया है. डॉ. टी. के. गबेल द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र में दिनांक 15 जनवरी 2010 से 8 मार्च 2010 तक अभ्यर्थी का इलाज करने का उल्लेख है. जबकि अभ्यर्थी द्वारा इसके पश्चात् दिनांक 26 अप्रैल 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा जमा किया. अभ्यर्थी ने दिनांक 8 मार्च 2010 से दिनांक 26 अप्रैल 2010 तक के विलंब के लिए कोई कारण न तो अपने जवाब में और न ही शपथपूर्वक बयान में दर्शाया है. अभ्यर्थी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण यदि वह निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा जमा नहीं कर पाया था तो चिकित्सक के इलाज के पश्चात् उसे अविलंब निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करना चाहिए था परन्तु उसने ऐसा न कर विलंब से दिनांक 26 अप्रैल 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया तथा इस विलंब के लिए उसने कोई कारण भी नहीं दर्शाया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी गेवेन्द्र कुमार देवांगन (धरम) एवं संतोष सोनी (सरदार) प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा अभ्यर्थीगण इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान के अनुसार बिना अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्यता रहित असफलता के लिए आदेश की तारीख से 5 वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए निरर्हित करना है. लेकिन विद्यमान परिस्थिति में 3 वर्ष की कालावधि हेतु निरर्हित करना न्याय के हित में उचित प्रतीत होता है. तद्नुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों गेवेन्द्र कुमार देवांगन (धरम) एवं संतोष सोनी (सरदार) को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये नगरपालिका परिषद् का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

6. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 25 मार्च 2013 को जारी किया गया.

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.